रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268236 CG-DL-E-04122025-268236

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5408]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947

No. 5408]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5596(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

8157 GI/2025 (1)

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेशी में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी प्रतिवर्ष हस्त उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा और ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी तथा उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जा सकता है और विनिर्माता ऐसी वस्तुओं या सामानों का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और यदि सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उसकी मांग की जाएगी तो उसे प्रस्तुत करेंगे।

तालिका

	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लि ए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	छोड़कर) (5)	(6)	(7)
1. 2. 3. 4. 5.	हस्त उपकरण	4003 (भाग 1):1978 4003(भाग 2):1986 2028:2004 2029:1998 6149:1984 4123:1982	पाइप रेन्चेज-सामान्य प्रयोजन पाइप रेन्च हेवी ड्यूटी ओपन-जॉ रेन्च (स्पैनर) रिंग रेन्च (स्पैनर) सिंगल-एण्डेड ओपन-जॉ एडजस्टेबल रेन्च चेन पाइप रेन्च	1 अक्टूबर, 2026	1 जनवरी, 2027	1 अप्रैल, 2027
7. 8. 9.		4508:1992 4509:1992 3650:1981	(स्पैनर) रिंग स्लगिंग रेन्च (स्पैनर) काम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर्स			

नोट- इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/11/2022-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ORDER

New Delhi, the 4th December, 2025

S.O. 5596(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Hand Tools (Quality Control) Order, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) This Order may be called the Hand Tools (Quality Control) Order, 2025.
 - (2) It shall come into force on the 1st day of October, 2026.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding entry mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of hand tools per year and such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities

TABLE

SL.	Goods	Indian	Title of	Date of	Date of	Date of
No.		Standard	Indian	implementation in		implementation
	articles		Standard	General	small	for micro
				(other than	enterprises	enterprises
				micro and		
				small		
				enterprises)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		4003 (Part 1):1978	Pipe Wrenches-			
			General Purpose			
2.		4003(Part 2):1986	Pipe Wrenches			
			Heavy Duty			
3.		2028:2004	Open-Jaw Wrenched			
			(Spanners)			
4.		2029:1998	Ring Wrenches			
	Hand		(Spanners)			
5.	Tools	6149:1984	Single-ended Open-			
			jaw Adjustable	1-4 0-4-1 2026	1.4 1	1 4 1 2027
			Wrenches	1st October, 2026	1st January, 2027	1st April, 2027
6.		4123:1982	Chain Pipe Wrenches			
7.		4508:1992	Open Ended			
			Slugging Wrenches			
			(Spanners)			
8.		4509:1992	Ring Slugging			
			Wrenches (Spanners)			
9.		3650:1981	Combination Side			
			Cutting Pliers		_	

Note.— For the purposes of this table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

- 3. **Certification and enforcement authority**.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.
- 4. **Penalty for contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P-29026/11/2022-LEI] SANJIV, Jt. Secy.